तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम ओमप्रकाश वगैरह प्रार्थना पत्र संख्या 42/2023 अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम ।	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-7-23	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार लूणी द्वारा अपने पत्र कमांक राजस्व/ 2024/206 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा प्रकरण अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम का इस आधार पर पेश किया गया कि अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि ग्राम राजपुरिया के खसरा नं. 29 रकबा 2.9056 हैक्टे. किस्म बा. तृतीय भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा बिना संपरिवर्तन करवाए अवैध बजरी खनन अर्थात गैर कृषि प्रयोजन कार्य किया जाना पाया गया है जिस कारण अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि को सिवायचक भूमि मे दर्ज किया जावे। प्रार्थना पत्र को कार्यालय समय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटीस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र का पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 29 रकबा 2.9056 हैक्टेयर के पूर्व व दक्षिण में खसरा संख्या 32 किस्म बा. चतुर्थ भूमि एवं पूर्व में खसरा संख्या 35 किस्म गै.मु. नदी भूमि, जो कि दोनो ही जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज भूमिया है। मौके पर खसरा संख्या 29 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा अस्थिर है, जिसका नाजायज फायदा भूमाफियाओं द्वारा उठाकर खसरा संख्या 35 गै.मु. नदी में अवैध खनन के साथ–साथ अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 29 में भी अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस की प्राप्ति के बाद हुई है। अप्रार्थीगण को अवैध खनन की जानकारी होने पर अप्रार्थी जोराराम द्वारा भूमाफियाओं के विरूद्ध बजरी चोरी की शिकायत ऑनलाईन दर्ज करवा दी है एवं श्रीमान मुख्य अभियंता खनिज विभाग जोधपुर को भी अवैध खनन रोकने बाबत् प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर दिया है। हल्का पटवारी द्वारा पेश मौका फर्द में खसरा संख्या 29 के कितने हिस्से की भूमि पर बजरी खनन हो रहा है इसका उल्लेख नही किया है, क्योकि खसरा संख्या 29 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा मौके पर अस्थिर है। हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गयी मौका फर्द रिपोर्ट अप्रार्थीगण को बिना सूचित, नोटिस दिये व अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गयी जो कि विधिवत् नहीं है। अप्रार्थीगण वर्ष 2004 से कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में निवास करते है। खसरा सख्या 29 में मौके पर कंटीले बबूल खड़े होने से कृषि योग्य नही होने से बजरी खनन संभव नहीं है। इस प्रकार खसरा संख्या 29 में अप्रार्थीगण द्वारा बजरी खनन नहीं किया जा रहा है अपितु भूमाफियाओं द्वारा अप्रार्थीगण की बिना सहमति के व बिना अप्रार्थीगण को जानकारी में लाये अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि में बजरी खनन कार्य किया है उसके लिए कानूनन अप्रार्थीगण को दण्डित नही किया जा सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए स्वयं द्वारा किसी प्रकार का अवेध खनन नही करने एवं भू माफिया एवं बजरी माफिया द्वारा अवैध रूप से अप्रार्थी की भूमि पर खनन करने के कारण उसमे अप्रार्थी का किसी प्रकार दोषी नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा स्वयं विभिन्न सरकारी महकमो एवं पुलिस थाना को अप्राथीगण की भूमि पर भू माफिया एवं बजरी माफिया के व्यक्तियो द्वारा उसकी अनुपस्थिति मे अवैध खनन किया जाने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट भी अप्रार्थी की अनुपस्थिति मे बनायी गयी एवं पटवारी हल्का द्वारा उक्त खसरे की संपूर्ण अथवा आंशिक हिस्से भूमि की भूमि में अवैध खनन कार्य किया जाना बताया है, जिससे यह सिद्ध नही हो रहा है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध खनन किया गया हो। किसी अन्य भू माफिया एवं बजरी माफिया के व्यक्तियो द्वारा किये गये किसी भी अवैध कृत्य हेतु अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई विपरीत कार्यवाही की जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध होगी। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध निराधार होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के जबाव तथ्यो के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी